The Minister of Irrigation and Power: (Shri Fakhruddin Ahmed). (a) and (b). The Kerala State Electricity Board has been set up as an autonomous body under the provisions of the Electricity (Supply) Act, 1948. Its functioning is governed by the provisions of that Act. Section 69 of the Act deals with the Accounts and audit of the Board. The accounts of the Board are kept in a form prescribed by the Government of Kerala in consultation with the Comptroller and Auditor General of India. The Accounts are audited by the Comptroller and Auditor General of India or by such person as he may authorise in this behalf. No change has been made in the procedure laid down under the Act for the accounts and audit of the Board.

Contracts under Kerala State Electricity Board

3626. Shri Vasudevan Nair:
Shri Warior:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in case of all contracts under the Kerala State Electricity Board, the Board is the final authority or whether in any type of contracts the sanction of the State Government is required before the contract is awarded; and

(b) if so, the nature of such contracts requiring prior sanction of Government?

The Minister of Irrigation and Power (Shri Fakhruddin Ahmed): (a) and (b). The Kerala State Electricity Board is the final authority in awarding all contracts in respect of works under the Board. The sanction of the State Government is not required before or after awarding any contract.

कागजी नोटों का छापा जाना तथा उनका परिचालन

3628. श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 में वर्ष 1964 की अपेक्षा कुल कितने मूल्य के भिन्न-भिन्न राशियों वाले नोट सिक्योरिटी प्रेस द्वारा छापे गये और वितरण के लिये उपलब्ध कराये गये ;

(ख) नोटों के कागज की कमी के क्या कारण हैं और उसकी पूर्ति का क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ;

(ग) यह कमी कब दूर हो जायेगी ?

(घ) क्या भारत में नोटों का कागज बनाने का कारखाना स्थापित करने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी कब तक स्थापना किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस द्वारा 1964 और 1965 में छापे गये सभी मूल्यों के करेंसी नोटों का मूल्य क्रमश: 1325.8 करोड़ रु० और 1598.8 करोड़ रुपया है ।

दिसम्बर 1964 के अन्त में 2654 करोड़ रुपये के और दिसम्बर 1965 के अन्त में 2867 करोड़ रुपये के मूल्य के नोट चल रहे थे ।

(ख) से (ङ) तक : आजकल करेंसी नोटों और बैंक नोटों के कागज की सारी मांग आयात द्वारा पूरी की जाती है और सिक्योरिटी पेपर की उपलब्धि का एकमात्र आधार, उपलब्ध की जाने वाली विदेशी मुद्रा की राशि है । इस अत्यावश्यक चीज के लिए आयात पर निर्भर रहने से बचने के लिए, होशंगाबाद में एक सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना की जा रही है जिसमें 1966 के उत्तरार्ध में उत्पादन शुरू होने का अनुमान है । जब मिल में लगभग 1968 के प्रारम्भ तक पूरी क्षमता